अनुमन्य प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव के लेटर हेड पर जारी किया जाना है।

अनुमन्य प्रमाण पत्र

मैं, श्री [illegible] (ग्राम प्रधान/सचिव का नाम) [illegible] ग्राम प्रधान/सचिव- ग्राम पंचायत [illegible] [illegible] पोस्ट [illegible] जनपद [illegible] प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री [illegible] (लाभार्थी का नाम) पुत्र/पुत्री श्री [illegible] (पिता/पति का नाम), निवासी [illegible] (ग्राम पंचायत का नाम), [illegible] आधार संख्या [illegible] (आधार संख्या) है, जो हमारी ग्राम पंचायत [illegible] में पंचायत विकास योजनाओं के संचालन/कार्यान्वयन और रखरखाव में अनुमन्य 9 सदस्यों में चयन किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये जाते हैं तो मैं दण्ड संहिता की विधि एवं नियमों के अधीन और विरुद्ध होने वाली कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक 29/01/2026

[illegible]
ग्राम प्रधान/सचिव का नाम
ग्राम पंचायत

नाम — श्रीमा देवी
पिता का नाम — प्रदीप कुमार
मो० नं० — [illegible]
जन्म तिथि — [illegible]/02/2002
शैक्षिक — B.A.
माता जी का नाम — [illegible]